

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर बनाम गुरमीत सिंह वराड आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 227/2025

निर्णय दिनांक :-14.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 303 से किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, खाता संख्या 34 के मुर्ब्बा नम्बर 137/53 की 0.050 हैक्टेयर गै.मु.खाला भूमि व खाता संख्या 33 के किला नम्बर 18 की 0.253 हैक्टेयर भूमि हटाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्थान)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्थान)
दिनांक: 14.07.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/514

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्थान)